Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

द्रुत डाक/दस्ती

संख्या 15-6(82)/98-ओ एंड एम II
No.

दिनांकित: 26 जुलाई, 2013

प्रेषक
From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

सीएसआईआर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
The Director/Head of all National Labs./Instts. of CSIR

महोदय/Sir,

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.03.2008 (परिपत्र अनुक्रमांक 386) के अनुक्रम में मैं आपकी सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा दिनांक 21.06.2013 को भेजे गये कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/11/2007-Estt.A को अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इसकी प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को प्रदान की जाए।

In continuation to this office letter of even number, dated 17.06.2008 (serial circular No. 401), I am to forward herewith a copy of the Office Memorandum No. 11012/11/2007-Estt.A, dated 21.06.2013 of the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel and Training) on the subject cited above for your information, guideance and necessary action, with a request that the copies of the same may kindly be provided to all concerned.

भवदीया,

सु. सिंह

(सुषमा सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्त
प्रतिलिपि:

1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशा. नियंत्रक/प्रशा. नियंत्रक/प्रशा. अधिकारी
2. महानिदेशक कार्यालय
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) कार्यालय
4. उप सचिव (के.का.)
5. वरिष्ठ उप सचिव (मानव संसाधन)
6. वरिष्ठ उप सचिव, सीएसआईआर कॉम्पलैक्स
7. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी, सीएसआईआर – सीएसआईआर बेवसाईट पर प्रसारित करने हेतु
8. कार्यालय प्रति

No. 11012/11/2007-Estt.A
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated: 21 June, 2013

Office Memorandum

Subject: **Guidelines regarding grant of vigilance clearance to members of the Cenral Civil Services / Central Civil Posts.**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number dated 14.12.2007 on the above subject and to say that it has been decided to modify Para 2(c) thereof as under:-

"(c) Vigilance clearance shall not be withheld unless (i) the officer is under suspension (ii) the officer is on the Agreed List, provided that in all such cases the position shall be mandatorily revisited after a period of one year (iii) a chargesheet has been issued against the officer in a disciplinary proceeding and the proceeding is pending (iv) orders for instituting disciplinary proceeding against the officer have been issued by the Disciplinary Authority provided that the chargesheet is served within three months from the date of passing such order (v) chargesheet has been filed in a Court by the Investigating Agency in a criminal case and the case is pending (vi) orders for instituting a criminal case against the officer have been issued by the Disciplinary Authority provided that the chargesheet is served within three months from the date of initiating proceedings (vii) sanction for investigation or prosecution has been granted by the Competent Authority in a case under the PC Act or any other criminal matter (viii) an FIR has been filed or a case registered by the concerned Department against the officer provided that the chargesheet is served within three months from the date of filing / registering the FIR / case (ix) the officer is involved in a trap / raid case on charges of corruption and investigation is pending."

(J.A. Vaidyanathan)
Director (Establishment)

Sr DS(HR)
CVO

DS (Vig)
19/7/13

कार्यालय संयुक्त सचिव सी. एस. आई. आर.
डी. एस. आई. आर.
पत्र डायरी सं. 361
दिनांक 18/7/2013

डायरी क्रमांक 92(iv)
दिनांक 26/7/13

Copy forwarded to:

1. All Ministries / Departments of the Government of India
2. Prime Minister's Office
3. Cabinet Secretariat
4. Secretary, Central Vigilance Commission
5. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
6. Union Public Service Commission, New Delhi.
7. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

Copy to:

(i) PS to MOS(PP)
(ii) PPS to Secretary (P)
(iii) PPS to AS(S&V)
(iv) PPS to EO & AS
(v) PS to JS(E)
(vi) PS to JS (V)
(vii) US (AVD-I A) w.r.t. File No. 142/15/2013-AVD.I
(viii) NIC, DoP&T with the request to upload this O.M. on Department's website (OMs/Orders → Establishment → CCS(CCA Rules)

(J.A. Vaidyanathan)
Director (Establishment)

सं.11012/11/2007-स्था.क

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 21 जून, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **केंद्रीय सिविल सेवा/ केंद्रीय सिविल पदों के सदस्यों को सतर्कता निकासी प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14.12.2007 के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ देने और यह करने का निर्देश हुआ है कि उनके पैरा 2(ग) में निम्नानुसार सुधार किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

"(ग) सतर्कता निकासी पर रोक नहीं लगाई जाए जब तक (i) अधिकारी निलंबित हो (ii) अधिकारी स्वीकृत सूची पर हो, बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में एक वर्ष की अवधि के पश्चात् स्थिति की अनिवार्य रूप से पुनरीक्षा की जाए (iii) किसी अनुशासनिक कार्रवाई में अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया हो और कार्रवाई लंबित हो (iv) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी किए गए हों बशर्ते कि ऐसा आदेश पारित करने की तारीख से तीन महीने के भीतर आरोप-पत्र दिया गया हो (v) अन्वेषण एजेंसी द्वारा किसी आपराधिक मामले में अदालत में आरोप-पत्र दर्ज किया गया हो और मामला लंबित हो (vi) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी किए गए हों बशर्ते कि ऐसा कार्रवाई शुरू करने की तारीख से तीन महीने के भीतर आरोप-पत्र दिया गया हो (vii) दंड संहिता अधिनियम या अन्य किसी आपराधिक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या अभियोजन की अनुमति दी गई हो (viii) संबंधित विभाग द्वारा अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दायर की गई हो या मामला दर्ज किया गया हो बशर्ते कि एफ.आई.आर./मामले के दायर/दर्ज करने की तारीख से तीन महीनों के भीतर आरोप-पत्र दिया गया हो (ix) भ्रष्टाचार के आरोपों पर अधिकारी किसी छल/छापे के मामले में शामिल हो और जांच लंबित हो ।"

(जे.ए. वैद्यनाथन)

निदेशक (स्थापना)

11012/11/2007- स्था. ए
जून 2013

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. प्रधानमंत्री कार्यालय
3. मंत्रिमंडल सचिवालय
4. सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग
5. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

(i) राज्य मंत्री (पीपी) के निजी सचिव
(ii) सचिव (कार्मिक) के प्रधान निजी सचिव
(iii) अपर सचिव (एस एवं वी) के प्रधान निजी सचिव
(iv) ईओ एवं एएस के प्रधान निजी सचिव
(v) संयुक्त सचिव (स्थापना) के निजी सचिव
(vi) संयुक्त सचिव (सतर्कता) के निजी सचिव
(vii) अवर सचिव (एवीडी-I ए) को फाइल सं. 142/15/2013-एवीडी. I के संदर्भ में
(viii) एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को यह का.ज्ञा. विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु (OMs/orders→Establishment→CCS(CCA Rules)

(जे.ए. वैद्यनाथन)
निदेशक (स्थापना)